जन्म – मृत्यु पंजीयन

जन्म – मृत्यु पंजीयन (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम :–

भारत सरकार के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 तथा मध्यप्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1973 तथा संशोधित नियम 1999 में दिये गये प्रावधानो के अन्तर्गत प्रदेष मे भी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जाता है। उक्त अधिनियम और नियम में प्रावधानो के अन्तर्गत प्रत्येक जन्म और मृत्यु की घटना का पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन का दायित्व घर के मुखिया, चिकित्सालय के अधिकारी, छात्रावास, संस्था, होस्टल, धर्मशाला, आदि में इसके भारसाधक अधिकारी का है। जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र कानूनी दस्तावेज है।

जिले में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेश कार्य निम्नानुसार एजेन्सी के व्दारा किया जाता है।

ग्रामीण :– ग्रामीण क्षेत्र की घटना के पंजीयन कार्य हेतु दि. 1.1.04 से ग्राम पंचायत के सचिव को उपरजिस्ट्रार घोशित किया गया है एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को रजिस्ट्रार घोशित किया गया है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 406 उपरजिस्ट्रार एवं 6 रजिस्ट्रार है। नगरीय क्षेत्र में 8 रजिस्ट्रार कार्यरत है। जिले में जिला योजना अधिकारी को जिला रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु घोशित किया गया।

जन्म एवं मृत्यु पंजीयन की विधि :– 21 दिनो के भीतर जहां पर जन्म मृत्यु की घटना घटित हुई हो वहा के उपरजिस्ट्रार तथा नगरीय क्षेत्र में रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीयन कराकर निशुल्क प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

जन्म एवं मृत्यु पंजीयन समयावधि उपरान्त कराने की विधि :–

1– धारा 13 (1) के अन्तर्गत घटना के 21 दिन के बाद किन्तु 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार की अनुमति पर दो रूपये शुल्क देकर पंजीयन कराया जा सकता है। नियम 9 (1).

2– धारा 3 (2) के अन्तर्गत घटना के 1 माह के बाद किन्तु 1 वर्श के भीतर शपथ एवं पांच रूपये विलम्ब शुल्क, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु को प्रस्तुत करने पर कराया जा सकता है। रजिस्ट्रार को जिला रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु को प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद जिला रजिस्ट्रार के आदेश पर पंजीयन होगा। नियम 9 (2).

3– धारा 13 (3) के अनुसार 1 वर्श के बाद की जन्म मृत्यु घटनाओ का पंजीयन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार / नायब तहसीलदार (न्यायधीश) के आदेश से 10 रूपये के विलंब शुल्क के आधार से पंजीयन कराया जा सकता है।

4– 5 रूपये जमा करके सही नाम जन्म के 12 महिने के अन्दर प्रविश्टी करा लेवे।

5– 5 रूपये जमा करके 15 वर्श के अन्दर नाम पंजीयन कराया जा सकता है।

सूचनादाता :— शासन व्दारा जन्म मृत्यु पंजीयन की सूचना के लिए ग्राम स्तर पर कोटवार, आंगनवाडी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव एवं ए.एन.एम. / एम.पी.डब्ल्यू. (स्वास्थ्य कार्यकर्ता) को सूचनादाता घोशित किया है इनके व्दारा सूचना फार्म में जानकारी देकर ग्राम पंचायत जनपद पंचायत एवं नगरपालिका में पंजीयन कराया जा सकता हैं।

महत्वपुर्ण :—

1— जन्म मृत्यु की घटना जहां घटित हुई है वहा के राजस्व ग्राम पंचायत मे ही होगी अन्यत्र नही होगी।

2— बस, ट्रेन, हवाई जहाज, यान आदि में यदि जन्म या मृत्यु की घटना होती है तो उसका पंजीयन प्रथम विराम स्थान के अन्तर्गत आने वाले राशि रजिस्ट्रेशन केन्द्र पर होगा।

जिले वार पंजीकृत लिंगानुसार जन्म, मृत्यु एवं शिशु मृत्यु, मातृत्व मृत्यु एवं मृत जन्म/ ग्रामीण /नगरीय/ योग।

वर्श 2010

ग्रामीण नगरीय योग	जन्म			मृत्यु			शिशु	मातृत्व मृत्यु	मृत जन्म		
	पुरूश	महिला	योग	पुरूश	महिला	योग			पुरूश	महिला	योग
ग्रामीण	4081	3869	7950	124	88	212	4	0	56	47	103
नगरीय	16525	15496	32023	3208	2208	5416	213	0	169	121	290
योग	20606	19365	39973	3332	2296	5628	217	0	225	168	393

वर्श 2011

ग्रामीण नगरीय योग	जन्म			मृत्यु			शिशु	मातृत्व मृत्यु	मृत जन्म		
	पुरूश	महिला	योग	पुरूश	महिला	योग			पुरूश	महिला	योग
ग्रामीण	2236	1784	4020	596	362	958	4	0	56	49	105
नगरीय	19076	16968	35046	2992	2393	5385	218	0	171	123	294
योग	21312	18752	39066	3588	2755	6343	222	0	227	172	399